न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर शहर प्रथम, जयपुर

उनवान नानगराम बनाम नानगी

ा संख्या / वर्ष प्रा0 पत्र बाज0 35 / 2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30/4/25	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र बाजदायरी पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल सैनी एवं अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार सैनी तथा अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र सिंह हाजिर। अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र बाजदायरी पेश कर निवेदन किया कि वादी का वाद दिनांक 30.09.2021 अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया था। लगभग 03 वर्ष के समय पश्चात यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, परन्तु प्रार्थना पत्र में यह कही स्पष्ट नहीं किया है कि प्रार्थना पत्र इतना विलम्ब से पेश क्यों किया गया है? अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी खारिज किया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 ने जवाब पेश नहीं कर, सीधे बहस हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली मय रिकॉर्ड के गहनतापूर्वक अवलोकन पर हम पाते है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत् रेस्टोरेशन देरी से पेश किया है। प्रार्थी द्वारा बाजदायरी प्रा०पत्र प्रस्तुतिकरण में हुए विलम्ब को माफ किए जाने के लिए प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा–5, भारतीय मियाद अधिनियम भी पृथक से पेश नहीं किया है। उक्त प्रा० पत्र में वर्णित तथ्य एव परिस्थिति, बाजदायरी प्रा० पत्र प्रस्तुतिकरण में हुए विलम्ब को माफ करने के लिए समुचित आधार नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर उसके गुणावगुण पर विचार किए. मियाद बाहर होने से खारिज किया जाता है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2025.05.14 15:01:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

	30/4/25	निर्णय आज दिनांक ...30.04.25........ को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2025.05.14 15:01:58 IST
Reason: SelfAttested